भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 146

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2023

सार्वजनिक खरीद नीति

146. श्री रवनीत सिंह:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईएस) की हिस्सेदारी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सार्वजनिक खरीद नीति के अधिदेश को पूरा करने की दिशा में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सहायता प्रदान किये जाने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीद के हिस्से का विवरण, वर्ष-वार नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	खरीददार	कुल खरीद (करोड़ रुपए में)	एमएसई से खरीद (अ.जा./अ.ज.जा के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) (करोड़ रुपए में)	अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)	महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)
2019-20	152 सीपीएसई	131,460.68	39,049.45 (29.70%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या 1,57,770)	691.43 (0.53%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या 6,341)	393.51 (0.30%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या 3,666)
2020-21	161 सीपीएसई	139,419.74	40,717.81 (29.21%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या 1,77,594)	768.53 (0.55%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या 6,870)	749.20 (0.54%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या 5,140)
2021-22	158 सीपीएसई	164,512.84	53,483.02 (32.51%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या 2,25,441)	1,290.87 (0.78%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या 10,417)	1,660.43 (1.01%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या 11,229)
2022-23 (दिनांक 30.01.2023 तक)	135 सीपीएसई	132,947.37	45,094.01 (33.92%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या 1,70,790)	1,130.69 (0.85%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या 7,512)	1,316.19 (0.99%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या 8,928)

(स्रोत *एमएसएमई संबंध* पोर्टल)

(ख) और (ग) : सीपीएसई को सार्वजनिक खरीद नीति के अधिदेश को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा हाल ही में निम्न उपाय किए गए हैं:

i. एमएसई से खरीद के लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों को समझने के लिए एमएसएमई मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया गया है।
ii. सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित निगरानी सचिव, एमएसएमई की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति द्वारा की जाती है।
iii. सीपीएसई/सरकारी विभागों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए वेंडरों को चिन्हित करने के लिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) के क्षेत्रीय कार्यालयों, एनएसआईसी और सीपीएसई द्वारा विभिन्न वेंडर विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

(ग) और (घ) : सरकार ने अ.जा./अ.ज.जा. के उद्यमियों को हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए अ.जा./अ.ज.जा. हब, जेम पोर्टल पर विभिन्न श्रेणी के फिल्टरों की शुरुआत आदि सहित देश में अ.जा./अ.ज.जा और महिला उद्यमियों की सीपीएसई द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाएं हैं। इसमें व्यवसाय की सुगमता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण-उद्यम पंजीकरण की शुरुआत, समीक्षा समिति का गठन, एमएसई की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत प्रकोष्ठ खोलना, क्रेत्ता-विक्रेता बैठकें/वेंडर विकास कार्यक्रमों का आयोजन, अनुपालन भार को कम करना, एमएसएमई संबंध पोर्टल की शुरुआत आदि शामिल हैं।

****